संख्या– 811 /26–ब0प्र0–2010–500(13)/98

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ लखनऊ:दिनांक 05 अक्टूबर, 2010

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्य सेक्टर) में किये गये प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–897/स0क0/वृ0पें0यो0/कि0पें0यो/बजट/2010–11, दिनांक 10.9.2010, के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या–322(अ)/26–ब0प्र0–2010–500(13)/98, दिनांक 08.04.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 में वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्य सेक्टर) में किये गये बजट प्राविधान रू0 300.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1,50,00,00,000/– (रूपया एक अरब पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर ही किया जायेगा।
2. निदेशक, समाज कल्याण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय के सापेक्ष ही किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व वर्षों की स्वीकृत धनराशि अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के लिए निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।